संख्या-03/2025/424के-2/22-3-2025-17(1079)/23

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2026

विषय:- जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पवन कुमार सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी, निवासी जनपद बिजनौर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पवन कुमार सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी, जो ग्राम-कालाखेड़ी, थाना-नगीना, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दहेज की मांग को लेकर दिनांक 31-05-2017 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तार से गला घोट कर अपनी पत्नी श्रीमती प्रिती की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/2020 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नगीना, बिजनौर के आदेश दिनांक 07-10-2020 द्वारा 10 वर्ष के सीमित दण्डावधि से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की 24 वर्ष की आयु, मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी 10 वर्ष की सजा के सापेक्ष बंदी द्वारा 04 वर्ष, 04 माह, 05 दिन की भोगी गई सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा उक्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पवन कुमार सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी, निवासी जनपद-बिजनौर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-424(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।